रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 679] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 26, 2009/अग्रहायण 5, 1931
No. 679] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 2009/AGRAHAYANA 5, 1931

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2009

सा.का.नि. 847(अ).—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 356ण के खंड (ङङ) और धारा 457 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (पोतों से कूड़ा-कचरा द्वारा प्रदूषण नियंत्रण) नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

1अ. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 अभिप्रेत है;

(ख) "प्रमाणन प्राधिकारी" से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ग) "अभिसमय" का वही अर्थ है जो उसका धारा 356 ख के खंड (ङ) में है ;

(घ) "सरकारी पोत" से, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन पोत अभिप्रेत है ;

(ङ) "कूड़ा कचरा" से सभी प्रकार के रसद, घरेलु तथा संक्रियात्मक अपशिष्ट अभिप्रेत हैं, जिनके अन्तर्गत पोत के सामान्य कार्य संचालन के दौरान उत्पन्न ताजा मछली और उनके अंग नहीं हैं, जिनका उन पदार्थों के सिवाय जिन्हें अभिसमय के अन्य उपाबंधों में परिभाषित किया गया है या सूचीबद्ध किया गया है, जो सतत रूप से या आवधिक रूप से व्ययन किए जाने के अधीन हैं ;

(च) "निकटम भूमि" से इसके सभी व्याकरणिक रूप भेदों सहित, ऐसी आधार रेखा अभिप्रेत है जिससे अन्तरराष्ट्रीय विधि के अनुसार आस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर तट के प्रयोजनों के सिवाय प्रश्नगत राज्य के राज्यक्षेत्रीय समुद्र स्थापित किया गया है, इससे निम्नलिखित के तट पर बिन्दु से खींची गई रेखा अभिप्रेत होगी -

अक्षांश $11^{0}00$ दक्षिण, देशांतर $142^{0}8$ पूर्व

अक्षांश $10^{0}00$ दक्षिण में बिंदु तक देशांतर $142^{0}00$ पूर्व

वहां से अक्षांश $10^{0}0$ दक्षिण में बिंदु तक देशांतर $142^{0}00$ पूर्व

वहां से अक्षांश $09^{0}10$ दक्षिण में बिंदु देशांतर $143^{0}52$ पूर्व

वहां से अक्षांश $09^{0}00$ दक्षिण में बिंदु तक देशांतर $144^{0}30$ पूर्व

वहां से अक्षांश $10^{0}41$ दक्षिण में बिंदु तक देशांतर $145^{0}00$ पूर्व

वहां से अक्षांश $13^{0}00$ दक्षिण में बिंदु तक देशांतर $145^{0}00$ पूर्व

वहां से अक्षांश $15^0 00$ दक्षिण में बिंदु तक देशांतर $146^0 00$ पूर्व

वहां से अक्षांश $17^0 30$ दक्षिण में बिंदु तक देशांतर $147^0 00$ पूर्व

वहां से अक्षांश $21^0 00$ दक्षिण में बिंदु तक देशांतर $152^0 55$ पूर्व

वहां से अक्षांश $24^0 30$ दक्षिण में बिंदु तक देशांतर $154^0 00$ पूर्व

वहां से अक्षांश $24^0 42$ दक्षिण में बिंदु तक देशांतर $153^0 15$ पूर्व में आस्ट्रेलिया के तट पर ।

(छ) "विशेष क्षेत्र" से ऐसा समुद्री क्षेत्र अभिप्रेत है जहां इसकी सागरीय भौगोलिक तथा पारिस्थितिकी दशा और इसके यातायात की विशिष्ट प्रकृति के संबंध में मान्यताप्राप्त तकनीकी कारणों के लिए कूड़े कचरों द्वारा समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष आज्ञापक पद्धति का अंगीकरण आवश्यक है और जो नियम 5 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को सम्मिलित करती है ।

2. **कूड़े कचरे द्वारा समुद्र के प्रदूषण को रोकने की बाध्यता** - जब तक अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न हो, कूड़े कचरे द्वारा समुद्र के प्रदूषण को रोकने के लिए सभी पोत इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेंगे ।

3. **विशेष क्षेत्रों से बाहर कूड़े कचरे का व्ययन :** (1) नियम 4,5 और 6 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित -

(क) सभी प्लास्टिकों के जिसके अन्तर्गत संश्लेषित रज्जू, मछली पकड़ने के संश्लेषित जाल, प्लास्टिक कूड़े कचरे की बोरियां और प्लास्टिक उत्पादों से उत्पन्न भस्मक भस्म भी है,जिसमें विषैले या भारी धात्विक अवशिष्ट अन्तर्विष्ट हो सकते हैं, प्रतिषिद्ध होंगे ।

(ख) निम्नलिखित कूड़े कचरे का समुद्र में व्ययन, यथा साध्य निकटतम भूमि से दूर किया जाएगा :

परन्तु यह कि ऐसा व्ययन तब प्रतिषिद्ध होगा जब निकटतम भूमि से दूरी-

(i) निभार, रेखांकन तथा पैकिंग सामग्री, जो तैरती है, के लिए पच्चीस नौ मील से कम हो,

(ii) खाद्य अपशिष्ट और सभी अन्य कूड़े कचरे के लिए जिसमें कागज उत्पाद, चिथड़े कांच बोतले, चीनी के बर्तन और वैसा ही कूड़ा करकट भी है, बारह नौ मील से कम सिवाय उसके कि उसे तब अनुज्ञात किया जाए जब यह विखंडक या खाद्य पेषणित्र से होकर गुजरा हो, और यथा साध्य, निकटतम भूमि से दूर किया गया हो, परन्तु किसी भी दशा में, ऐसा व्ययन अनुज्ञेय नहीं होगा यदि निकटतम भूमि से दूरी तीन नौ मील से कम है :

परन्तु यह कि ऐसा विखंडित या पिसा हुआ कूड़ा कचरा ऐसी स्क्रीन से होकर गुजर सके जिसका मुख 25 मी0मी0 से अधिक न खुला हो ।

(2) जब कूडा कचरा ऐसे अन्य निस्सारणों के साथ सम्मिश्रित किया जाता है, जिसमें भिन्न - भिन्न व्ययन या निस्सारण अपेक्षाएं होती हैं, अधिक कठोर अपेक्षाएं लागू होंगी ।

4. **कूड़े कचरे के व्ययन के लिए विशेष अपेक्षाएं** - (1) उप नियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कूड़े कचरे का व्ययन समुद्र तल खनिज संसाधनों की खोज, उनके उपयोग तथा सहबद्ध तट प्रसंस्करण में लगे स्थिर या प्लवमान प्लेट फार्मों, और सभी अन्य पोतों से, जब वे ऐसे

प्लेटफार्मों के साथ - साथ हो या उनके पांच सौ मीटर के भीतर हो, प्रतिषिद्ध किया जाता है ।

(2) समुद्र में, खाद्य अपशिष्ट का, जो विखण्डक या पेषणित्र में से होकर गुजरे हैं, व्ययन ऐसे स्थिर या प्लवमान प्लेटफार्मों से अनुज्ञात किया जाएगा जो भूमि से बारह नौ मील से अधिक की दूरी पर अवस्थित है और सभी अन्य पोतों से जब वे ऐसे प्लेटफार्मों के साथ - साथ हो या उनसे पांच सौ मीटर के भीतर हों :

परन्तु यह कि ऐसा विखंडित या पिसे हुए खाद्य अपशिष्ट ऐसी स्क्रीन में से होकर गुजरने योग्य होंगे जिसका मुख पच्चीस मि0मी0 से अधिक नहीं होगा ।

5. **विशेष क्षेत्र के भीतर कूड़े कचरे का व्ययन** : (1) इन नियमों के प्रयोजन के लिए, विशेष क्षेत्र भूमध्यसागरीय क्षेत्र, बाल्टिक सागरीय क्षेत्र, काला सागरीय क्षेत्र, लाल सागरीय क्षेत्र, खाडी क्षेत्र, उत्तर सागरीय क्षेत्र अंटारटिक क्षेत्र तथा विशाल कैरिबीयन क्षेत्र जिसमें मैक्सिको की खाड़ी तथा कैरिबीयन सागर भी हैं ।

स्पष्टीकरण :- नियम 5 के प्रयोजनों के लिए,-

(क) भूमध्य सागरीय क्षेत्र से वास्तविक भूमध्य सागरीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें 41^0 उत्तर समानांतर से बने और याम्योत्तर 5^036 पश्चिम में स्थित गिब्राल्टर की जलडमरूमध्य से पश्चिम तक घिरे भूमध्य सागरीय तथा काला सागर के बीच सीमा सहित उसके भीतर की खाडियां तथा सागर भी हैं ;

(ख) बाल्टिक सागरीय क्षेत्र से वास्तविक भूमध्य सागरीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें बाथनिया की खाड़ी तथा फिनलैंड की खाड़ी और 57.44.8 उत्तर स्थित स्कर के समानांतर तक धिरे हुए बाल्टिक सागर का प्रवेश भी है ;

(ग) काला सागर से वास्तविक काला सागर अभिप्रेत है जिसमें समानांतर 41^0 उत्तर तक बनी भूमध्य सागर तथा काला सागर के बीच सीमा है ;

(घ) लाल सागर से वास्तविक लाल सागर अभिप्रेत है जिसमें रास सी ऐने (12^0.28.5 उत्तर, 43^0.19.6 पूर्व) और हसन मुराद (12^{0}408.4 उत्तर 43^{0}30.2 पूर्व) के बीच रंब रेखा से दक्षिण में धिरी स्वेज तथा अकबा की खाड़िया भी हैं ;

(ङ) खाडी क्षेत्र से ऐसा खाड़ी क्षेत्र अभिप्रेत है जो रासल हाड (22^{0}30 उत्तर, 59^{0}48 पूर्व) और रास अल फास्तेह (25^{0}04 उत्तर, 61^{0}25 पूर्व) के बीच रंब रेखा के उत्तर पश्चिम में स्थित है ;

(च) उत्तरी सागर से वास्तविक उत्तरी सागर अभिप्रेत है जिसमें उसके भीतर निम्नलिखित के बीच सीमा वाला सागर भी है ;-

(i) अक्षांश 62^0 उत्तर के दक्षिणाभिमुखी तथा देशांतर 4^0 पश्चिम के पूर्वाभिमुखी उत्तरी सागर ;

(ii) स्कागेरक, जिसकी दक्षिणी सीमा देशांतर 57^{0}4.48 उत्तर द्वारा स्का पूर्व में अवधारित किया गया है ; और

(iii) इग्लिंश चैनल तथा इसकी देशांतर 5^0 पश्चिम के पूर्वाभिमुखी और देशांतर 48^{0}30 उत्तर की उत्तरोभिमुखी पंहुच ;

(छ) अंटारटिक क्षेत्र से देशांतर 60^0 दक्षिण से दक्षिण सागर अभिप्रेत है ;

(ज) विशाल कैरिबियन क्षेत्र से जैसा विशाल कैरिबियन क्षेत्र (कारटेजीना डि इन्डियास, 1983) के समुद्री पर्यावरण के सरंक्षण और विकास संबंधी

अभिसमय अनुच्छेद 2 पैरा 1 में परिभाषित है, वास्तविक मैक्सिको और कैरिबियन सागर खाड़ी अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत उसमें की खाड़िया तथा समुद्र और $77^{0}30$ पश्चिम याम्योत्तर के पूर्व की ओर फ्लोरिडा से समानांतर 30^{0} उत्तर से बनी सीमा के भीतर एंटलान्टिक सागर का भाग भी है, वहां से समानांतर 20^{0} उत्तर तथा 59^{0} पश्चिम याम्योत्तर के प्रतिच्छेद बिन्दु तक रंब रेखा, वहां से समानांतर $7^{0}.20$ उत्तर और 50^{0} पश्चिमी याम्योत्तर के प्रतिच्छेद बिन्दु तक रंब रेखा, वहां से दक्षिण पश्चिम से खींची गई रंब रेखा फ्रेंच गुयाना की पूर्वी सीमा तक है ।

(2) नियम 6 के अधीन रहते हुए,-

(क) निम्नलिखित को समुद्र में व्ययन करना प्रतिषिद्ध है, अर्थात :-

(i) सभी प्लास्टिक जिसमें संश्लेषित रज्जु, संश्लेषित मछली पकड़ने के जाल, प्लास्टिक कूड़ा कचरा की बोरियां और विषैले या भारी धात्विक अवशिष्टों वाले प्लास्टिक उत्पाद से उत्पन्न भस्मक भस्म ; और

(ii) सभी अन्य कूड़ा कचरा जिसमें कागज उत्पाद, चिथड़े, कांच धातु, बोतल, चीनी मिट्टी के बर्तन, निभार, रेखांकन तथा पैकिंग सामग्री भी है ;

(ख) खंड (ग) में यथा उपबंधित के सिवाय, खाद्य अपशिष्टों का समुद्र में व्ययन, यथासाध्य भूमि से दूर किया जाएगा परन्तु किसी भी दशा में निकटतम भूमि से बारह नौ मील से कम की दूरी पर नहीं किया जाएगा ;

(ग) खाद्य अपशिष्ट विशाल कैरिबियन क्षेत्र में व्ययन, जिसे विखंडक या पेषणित्र में से होकर गुजारा गया है, यथासाध्य भूमि परन्तु किसी भी दशा

में निकटतम भूमि से 3 नौ मील से कम की दूरी पर नहीं, किया जाएगा :

परन्तु यह कि ऐसा विखंडित या पिसा हुआ खाद्य अपशिष्ट ऐसी स्क्रीन में गुजारने योग्य होगा जिसका मुंह पच्चीस मि0मी0 से अनधिक होगा ।

(3) जब कूड़े कचरे को ऐसे अन्य निस्सारणों के साथ सम्मिश्रित किया जाता है, जिसमें भिन्न - भिन्न व्ययन या निस्सारण अपेक्षाएं हैं, तो अधिक कठोर अपेक्षाएं लागू होंगी ।

6. **अपवाद :** नियम 3,4,5 के उपबंध निम्नलिखित को लागू होंगे -

(क) किसी पोत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए और फलक पर व्यक्तियों या समुद्र में जीवन रक्षा के लिए आवश्यक किसी पोत से कूड़ा कचरे का व्ययन ; या

(ख) किसी पोत या उपलब्ध कराए गए उपकरणों को हुए खतरे से पारिणामिक कूड़े कचरे के निकास के लिए सभी युक्ति युक्त पूर्व सावधानियां निकास को रोकने या उसे कम करने के लिए ऐसे खतरा के धटने से पहले या बाद में बरती गई हैं ; या

(ग) संश्लेषित मछली पकड़ने के जाल के दुधर्टनावश हानि परन्तु ऐसी हानि को रोकने के लिए पूर्व सावधानियां बरती गई हैं ।

7. **ग्रहण सुविधाएं** - (1) केन्द्रीय सरकार, यह सुनिश्चित करेगी कि पर्याप्त ग्रहण सुविधाएं धारा 356ठ के उपबंधों के अनुसार और उनका उपयोग करने वाले पोतों की आवश्यकताओं के अनुसार पोतों को अनुचित विलम्ब

कारित किए बिना कूड़ा कचरे के ग्रहण के लिए पत्तनों और टर्मिनलों पर प्रदान की जाएंगी ।

(2) जहां इन नियमों के अधीन प्रदान की गई सुविधाएं अपर्याप्त अभिकथित की गई हैं, वहां केन्द्रीय सरकार सभी मामलों के संबद्ध राज्य पक्षकारों को संप्रेषण के लिए अन्तरराष्ट्रीय समुद्री संगठन अधिसूचित करेगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार,

(क) उन पोतों की बाबत, जो मार्ग से होकर अंटार्टिका के लिए प्रस्थान करते हैं या अंटार्टिका में पंहुचते हैं, सुनिश्चित करेगी कि बिना कोई विलंब कारित किए और उनका उपयोग करने वाले पोतों की आवश्यकताओं के अनुसार, सभी पोतों से कूड़ा कचरा ग्रहण करने के लिए यावतसाध्य प्रदान की गई हैं ;

(ख) यह सुनिश्चित करेगी कि अंटार्टिक क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व अपनी पताका फहराने के हकदार सभी पोतों के पास ऐसे क्षेत्र में संक्रिया करते समय सभी कूड़ा कचरे के प्रतिधारण के लिए फलक पर पर्याप्त क्षमता है और उस क्षेत्र से प्रस्थान करने के पश्चात् ग्रहण सुविधा पर ऐसे कूड़ा कचरे को निस्सारित करने के लिए इंतजाम कर लिए हैं ।

8. **संक्रियात्मक अपेक्षाओं पर पत्तन सरकारी नियंत्रण :** (1) धारा 356छ के अधीन भारतीय पत्तन में विदेशी पोत के निरीक्षण के दौरान, यथास्थिति, सर्वेक्षक या तद्धीन प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति यह विश्वास करने का वह स्पष्ट कारण रखता है कि उस पोत का मास्टर या कर्मीदल, मल द्वारा प्रदूषण के निवारण संबंधी संक्रियात्मक अपेक्षाओं तथा प्रक्रियाओं से अभिज्ञ नहीं है तो महानिदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोइ अन्य अधिकारी सर्वेक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति की सिफारिश पर ऐसे उपाय करेगा जो धारा 356ज में उपबंधित हो ।

9. **प्लाकार्ड, कूड़ा कचरा प्रबंधन योजनाएं और कूड़ा कचरे का अभिलेख रखना** - (1) बारह मीटर या उससे अधिक की कुल लम्बाई वाला प्रत्येक पोत ऐसे प्लाकार्ड संप्रदर्शित करेगा जो यथा लागू नियम 3 या नियम 5 की कर्मी दल और यात्रियों की व्ययन अपेक्षाओं को अधिसूचित करेंगे :

परन्तु यह कि ऐसें प्लाकार्ड पोत के कार्मिकों की कार्यसाधक भाषा में लिखे जांएगे, और अन्य राज्य पक्षकारों की अधिकारिता के अधीन पत्तन या तट तक जलयात्रा में चलत पोतों के लिए भी अंग्रेजी में लिखे जाएंगे ।

(2) चार सौ सकल टन भार या उससे अधिक का प्रत्येक पोत तथा प्रत्येक ऐसा पोत जिसे पन्द्रह व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति वहन करने के लिए प्रमाणित किया गया है, कूड़ा कचरा प्रबंध योजना जिसमें इसके कर्मीदल द्वारा पालन की जाने वाली कूड़े कचरे के संग्रहण, भडांरण प्रसंस्करण की, फलक पर उपस्कर के उपयोग सहित लिखित पद्धतियों का उपबंध भी है, वहन करेगा और ऐसी योजना को कार्यान्वित करने वाले भारसाधक व्यक्ति को भी पदाभिहित करेगा ।

परन्तुक यह भी ऐसी योजना अन्तरराष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा विकसित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगी और कर्मीदल की कार्यसाधक भाषा में लिखी जाएगी ।

(3) चार सौ सकल टन भार और उससे अधिक भार का प्रत्येक पोत तथा प्रत्येक ऐसा पोत जिसे अन्य राज्य पक्षकारों की अधिकारिता के अधीन पत्तनों या तट टर्मिनल और समुद्र तल की खोज और उपयोग में लगे प्रत्येक स्थिर और प्लवमान प्लेटफार्म तक समुद्री यात्रा में लगे पन्द्रह या उससे अधिक व्यक्तियों को वहन करने के लिए प्रमाणित किया गया है, प्ररूप 1 में कूड़ा कचरा अभिलेख बही सहित उपलब्ध कराए जाएंगे ।

(4) कूड़ा कचरा अभिलेख बही, चाहे वह पोत की शासकीय लॉग बुक के भाग के रूप में हो या अन्यथा,-

(क) निस्सारण संक्रिया या संपूरित विखंडन को अंग्रेजी में अभिलिखित करेगी और भारसाधक अधिकारी द्वारा ऐसे विखण्डन या निस्सारण की तारीख सहित हस्ताक्षरित की जाएगी और प्रत्येक संपूरित पृष्ठ भी पोत के मास्टर द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा ।

परन्तु यह कि प्रत्येक ऐसी प्रविष्टि में तारीख और समय, पोत की स्थिति, कूड़े कचरे का वर्णन तथा विखंडित या निस्सारित कूड़े कचरे की मात्रा अनुमानित अन्तर्विष्ट होगी :

परन्तु यह और कि ऐसी प्रविष्टियां किसी विवाद या विसंगति की दशा में अभिभावी होंगी :

(ख) पोत के फलक पर रखी जाएगी और ऐसे अन्य स्थानों पर कि यह एक युक्ति युक्त समय के भीतर निरीक्षण के लिए उपलब्ध हो :

(ग) उस पर अन्तिम प्रविष्टि कर दिए जाने पर दो वर्ष की अवधि के लिए परिरक्षित रहेगी ।

(घ) नियम 6 में निर्दिष्ट निस्सारण, निकास या आकस्मिक हानि की दशा में किसी हानि की परिस्थितियों तथा कारणों को अभिलिखित करेगा ।

(5) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित के लिए कूड़ा कचरा अभिलेख बही संबंधी अपेक्षाओं का अधित्यजन कर सकेगी :-

(क) एक घन्टा या उससे कम की अवधि की जलयात्रा पर चलने वाला कोई पोत जो पन्द्रह या उससे अधिक व्यक्तियों को वहन करने के लिए प्रमाणित किया गया है ; या

(ख) समुद्र तल की खोज और उपयोग में चलते समय स्थिर या प्लवमान प्लेटफार्म ।

(6) यथास्थिति, सर्वेक्षक या केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 356छ के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति, जब पोत भारतीय पत्तन या तट टर्मिनलों में है, किसी ऐसे पोत के फलक पर जिसको ये नियम लागू होते हैं कूड़ा कचरा अभिलेख बही का निरीक्षण कर सकेगा और उस बही में किसी भी प्रविष्टि की प्रति बना सकेंगे और पोत के मास्टर से प्रमाणित करने की अपेक्षा कर सकेंगे कि वह प्रति ऐसी प्रविष्टि की सत्य प्रति है और इस प्रकार बनाई गई कोई भी प्रति ऐसी प्रविष्टियों में कथित तथ्यों के साक्ष्य के रूप में किसी भी न्यायिक कार्यवाही में ग्राह्य होगी :

परन्तु यह और कि कूड़ा कचरा अभिलेख बही का निरीक्षण और उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करना पोत को असम्यक विलम्ब किए बिना यथासंभव शीघ्र किया जाएगा ।

10. **शास्ति -** जो कोई व्यक्ति इन नियमों के उपबंध में से किसी उपबंध का अतिलंधन करेगा, वह अधिनियम की धारा 458 की उपधारा (2) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार जुर्माने से दंडित किया जाएगा ।

प्ररूप - 1

(नियम 9(3) देखें)

कूड़ा कचरा अभिलेख बही का प्ररूप

पोत का नाम--

स्पष्ट संख्या या अक्षर---

आईएमओ संख्या--

अवधि------------------- से------------------------तक-----------------

1. परिचय :- पैरा 9 के अनुसार, ग्रहण सुविधाओं के या अन्य पोतों के प्रत्येक निस्सारण संक्रिया या संपूरित विखण्डन, जिसमें समुद्र में निस्सारण भी है, का अभिलेख रखा जाए

2. कूड़ा कचरा और कूड़ा कचरा प्रबंध :- कूड़े कचरे में जलयान के सामान्य प्रचालन के दौरान जनित सभी प्रकार के खाद्य घरेलु तथा संक्रियात्मक अपशिष्ट, ताजा मछली और उनके अंगों को छोड़कर सम्मिलित हैं तथा उन पदार्थों के सिवाय, जिन्हें एमएआरपीओएल, 73/78 के अन्य उपाबंधों में परिभाषित किया गया है या सूचीबद्ध किया गया है (जैसे मल या अपायकर द्रव पदार्थ), सतत रूप से या कालिकतः व्ययनित किए जाने योग्य हैं और एमएआरपीओएल, 73/78 उपाबंध 5 के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त सुसंगत जानकारी के लिए भी निर्दिष्ट जाएं ।

3. कूड़ा कचरे का वर्णन :- इस अभिलेख बही के प्रयोजनों के लिए कूड़ा कचरे को तीन प्रवर्गों में निम्नलिखित रूप में समूहीकृत किया जाना है :-

1. प्लास्टिक

2.प्लवमान निभार, संस्तर या पैकिंग सामग्री

3. पिसे हुए कागज उत्पाद, चिथड़े, कांच,धातु बोतल चीनी मिट्टी के बर्तन

4. स्थौरा अवशिष्ट कागज उत्पाद, चिथड़े, कांच, धातु बोतल चीनी मिट्टी के बतन आदि

5. खाद्य अपशिष्ट

6. भस्मक भस्म

4. कूड़ा कचरा अभिलेख बही में प्रविष्टियां :- कूड़ा कचरा अभिलेख बही में प्रविष्टियां निम्नलिखित अवसरों में से प्रत्येक अवसर पर की जाएंगी :-

(क) जब कूड़ा कचरा समुद्र में निस्सारित कर दिया जाता है :-

(i) निस्सारण की तारीख और समय

(ii) पोत की स्थिति (अंक्षाश और देशांतर)

टिप्पणः स्थौरा अवशिष्ट निस्सारणों के लिए, निस्सारण आरंभ होने की स्थिति और समाप्त होने की स्थिति सम्मिलित करें ।

(iii) निस्सारण कूड़ा कचरे का प्रवर्ग

(iv) धन मीटरों में प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अनुमानित निस्सारण मात्रा

(v) प्रचालन के भारसाधक अधिकारी के हस्ताक्षर

(ख) जब कूड़ा कचरा ग्रहण सुविधा तट को या अन्य पोतों को निस्सारित किया जाता है :-

(i) निस्सारण की तारीख और समय

(ii) पतन या सुविधा या पोत का नाम

(iii) निस्सारित कूड़े कचरे का प्रवर्ग

(iv) धन मीटरों में प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अनुमानित निस्सारित मात्रा

(v) प्रचालन के भारसाधक अधिकारी के हस्ताक्षर

(ग) जब कूड़ा कचरा विखन्डित कर दिया जाता है :-

(i) विखण्डन के आरंभ होने तथा समाप्त होने की तारीख और समय

(ii) पोत की स्थिति (अंक्षाश और देशांतर)

(iii) धन मीटरों में अनुमानित विखण्डित मात्रा

(iv) प्रचालन के भारसाधक अधिकारी के हस्ताक्षर

(ध) जब कूड़ा कचरे का आकस्मिक या अन्य आपवादिक निस्सारण होता है :-

(i) घटना घटने की तारीख

(ii) घटना घटने के समय पतन या पोत की स्थिति

(iii) कूड़ा कचरे की अनुमानित मात्रा और प्रवर्ग

(iv) व्ययन, निकास या हानि की परिस्थितियां, उसके कारण तथा साधारण टिप्पणियां

4.2. प्राप्तियां : मास्टर को पतन ग्रहण सुविधाओं के प्रचालक से या कूड़ा कचरा ग्रहण करने वाले पोत के मास्टर से अन्तरित कूड़े कचरे की अनुमानित मात्रा को विनिर्दिष्ट करने वाली रसीद या प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना चाहिए या दो वर्ष तक प्रमाणपत्र कूड़ा कचरा अभिलेख बही के साथ पोत के फलक पर रखना चाहिए ।

4.3. कूडे कचरे की मात्रा : फलक पर कूड़े कचरे की मात्रा, यदि संभव हो, तो घन मीटरों में प्रवर्ग के अनुसार पृथकतः प्राक्कलित की जाएगी । कूड़ा कचरा अभिलेख बही में कूड़ा कचरा की प्राक्कलित मात्रा के प्रति बहुत से निर्देश अन्तर्विष्ट हैं, यह मान्य है कि कूड़ा कचरे की प्राक्कलित मात्राओं की शुद्धता निर्वचन पर छोड़ दी जाती है और प्रसंस्कण के पूर्व और उसके पश्चात् आयतन प्राक्कलन भिन्न - भिन्न होंगे और कुछ प्रसंस्कण प्रक्रियाएं आयतन के प्रजोज्य प्राक्कलन के लिए अनुज्ञा नहीं दे सकेंगी, उदाहरणार्थ ऐसे कारकों के खाद्य अपशिष्ट के निरन्तर प्रसंस्करण पर, अभिलेख में प्रविष्टि करते समय और उनका निर्वचन करते समय विचार किया जाना चाहिए ।

कूड़ा कचरा निस्सारणों के अभिलेख

पोत का नाम-----------स्पष्ट सं.या अक्षर-----------आईएमओ सं

कूड़े कचरे का प्रवर्ग :-

1. प्लास्टिक

2. प्लवमान निभार, संस्तर, या पैकिंग सामग्री

3. पिसे हुए कागज उत्पाद, चिथड़े कांच, धातु, बोतल चीनी मिट्टी के बर्तन आदि

4. कागज उत्पाद, चिथड़े,काचं धातु, बोतल चीनी मिट्टी के बर्तन आदि

5. खाद्य अपशिष्ट

6. प्लास्टिक उत्पादों से भस्म को छोड़कर भस्मक जिसमें विषैलें या भारी धातु अवशिष्ट हो सकते हैं ।

टिप्पण : विशेष क्षेत्रों में खाद्य अपशिष्ट से भिन्न किसी कूड़े कचरे का निस्सारण प्रतिषिद्ध किया जाता है और समुद्र में निस्सारित किया गया कूड़ा कचरा प्रवर्गीकृत किया जाना चाहिए और ग्रहण सुविधाओं के लिए प्रवर्ग 1 से भिन्न कूड़ों कचरे स्थौरा अवशिष्टों की कुल प्राक्कलित मात्रा के रूप में ही सूचीकृत किए जाने की आवश्यकता है जिसकी आरंभ होने और समाप्त होने की स्थिति को अभिलिखित किया जाना अपेक्षित है ।

तारीख/समय	पोत की स्थिति	समुद्र में निस्सारित किए गए कूड़े कचरे की अनुमानित मात्रा (एम3)					ग्रहण सुविधाओं या अन्य पोत के लिए निस्सारित अनुमानित मात्रा(एम3)		अनुमानित विखण्डित मात्रा (एम3)	प्रमाणन/ हस्ताक्षर
		प्रवर्ग 2	प्रवर्ग 3	प्रवर्ग 4	प्रवर्ग 5	प्रवर्ग 6	प्रवर्ग 1	अन्य		

मास्टर के हस्ताक्षर ---------------------------- तारीख ---------------------------------- ।

[फा. सं. एसआर-11012/2/2008-एमजी]

राजीव गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2009

G.S.R. 847(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ee) of section 356-O and section 457 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Prevention of Pollution by Garbage from Ships) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

1A. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Merchant Shipping Act, 1958;

(b) "certifying authority" means the Central Government;

(c) "Convention" shall have the same meaning as assigned to it in clause (e) of section 356B;

(d) "Government ship" means the ship owned by the Central Government or the State Government;

(e) "garbage" means all kinds of victual, domestic and operational wastes, excluding fresh fish and parts thereof, generated during the normal operational of the ship and liable to be disposed of continuously or periodically except those substances which are defined or listed in other Annexes to the Convention;

(f) "nearest land", with all its grammatical variations, means the baseline from which the territorial sea of the territory in question is established in accordance with international law, except that for the purposes of north-eastern coast of Australia, it shall mean from a line drawn from a point on the coast of Australia in-

latitude 11°00' S, longitude 142°08' E
to a point in latitude 10°00'S, longitude 142°00' E
thence to a point latitude 10°00' S, longitude 142°00' E
thence to a point latitude 09°10' S, longitude 143°52' E
thence to a point latitude 09°00' S, longitude 144°30' E
thence to a point latitude 10°41' S, longitude 145°00' E
thence to a point latitude 13°00' S, longitude 145°00' E
thence to a point latitude 15°00' S, longitude 146°00' E
thence to a point latitude 17°30' S, longitude 147°00' E
thence to a point latitude 21°00' S, longitude 152°55' E
thence to a point latitude 24°30' S, longitude 154°00' E
thence to a point on the coast of Australia in
latitude 24°42' S, longitude 153°15' E

(g) "special area" means a sea area where for recognised technical reasons in relation to its oceanographical and ecological condition and to the particular character of its traffic,

the adoption of special mandatory method for the prevention of sea pollution by garbage is required and includes special areas specified in rule 5;

2. Obligation to prevent pollution of sea by garbage.– Unless expressly provided otherwise, all ships shall comply with the provisions of these rules to prevent pollution of sea by garbage.

3. Disposal of garbage outside special areas. – (1) Subject to the provisions of rules 4, 5 and 6, the disposal into the sea of –

(a) all plastics, including synthetic ropes, synthetic fishing nets, plastic garbage bags and incinerator ashes from plastic products which may contain toxic or heavy metal residues shall be prohibited.

(b) the disposal into the sea of following garbage shall be made, as far as practicable, from the nearest land:

Provided that such disposal shall be prohibited if the distance from the nearest land is less than –

(i) twenty-five nautical miles for dunnage, lining and packing materials which floats;

(ii) twelve nautical miles for food wastes and all other garbage including paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery and similar refuse except that it may be permitted when it has passed through a comminuter or grinder and made, as far as practicable, from the nearest land but in no case such disposal shall be permissible if the distance from the nearest land is less than three nautical miles:

Provided that such comminuted or ground garbage shall be capable of passing through a screen with openings not greater than 25 mm.

(2) When the garbage is mixed with other discharges having different disposal or discharge requirements, the more stringent requirements shall be applicable.

4. Special requirements for disposal of garbage.- (1) Subject to the provision of sub-rule (2), the disposal of garbage is prohibited from fixed or floating platforms engaged in the exploration, exploitation and associated offshore processing of sea-bed mineral resources and from all other ships when alongside or within five hundred metres of such platforms.

(2) The disposal into the sea of food wastes have been passed through a comminuter or grinder may be permitted from fixed or floating platforms located more than twelve nautical miles from land and all other ships when alongside or within five hundred metres of such platforms:

Provided that such comminuted or ground food wastes shall be capable of passing through a screen with openings not greater than twenty-five mm.

5. Disposal of garbage within special areas. - (1) For the purposes of these rules, the special areas are the Mediterranean Sea area, the Baltic Sea area, the Black Sea area, the Red Sea area, the Gulfs area, the North Sea area, the Antarctic area and the Wider Caribbean Region, including the Gulf of Mexico and the Caribbean Sea.

Explanation.-For the purposes of rule 5, -

(a) the Mediterranean Sea area means the Mediterranean Sea proper including the gulfs and seas therein with the boundary between the Mediterranean and the Black Sea

constituted by the 41^0N parallel and bounded to the west by the Straits of Gibraltar at the the meridian $5^036'$ W;

(b) the Baltic Sea area means the Baltic Sea proper with the Gulf of Bothnia and the Gulf of Finland and the entrance to the Baltic Sea bounded by the parallel of the Skaw in the Skagerrak at $57^044.8'$ N;

(c) the Black Sea area means the Black Sea proper with the boundary between the Mediterranean and the Black sea constituted by the parallel 41^0N;

(d) the Red Sea area means the Red Sea proper including the Gulfs of Suez and Aqaba bounded at the south by the rhumb line between Ras si Ane ($12^028.5'$ N, $43^019.6'$E) and Husn Murad ($12^0408.4'$ N, $43^030.2$ E);

(e) the Gulfs area means the sea area located north-west of the rhumb line between Ras al Hadd ($22^030'$ N, $59^048'$ E) and Ras al Fasteh ($25^004'$ N, $61^025'$ E);

(f) the North Sea area means the North Sea proper including seas therein with the boundary between–

(i) the North Sea southwards of latitude 62^0 N and eastwards of longitude 4^0W;

(ii) the Skagerrak, the southern limit of which is determined east of the Skaw by latitude $57^044.8'$ N; and

(iii) the English Channel and its approaches eastwards of longitude 5^0 W and northwards of latitude $48^030'$ N;

(g) the Antarctic area means the sea south of latitude 60^0 S;

(h) the Wider Caribbean Region, as defined in article 2, paragraph 1 of the Convention for the Protection and Development of the Marine Environment of the Wider Caribbean Region (Cartagena de Indias, 1983), means the Gulf of Mexico and Caribbean Sea proper including the bays and seas therein and that portion of the Atlantic Ocean within the boundary constituted by the 30^0 N' parallel from Florida eastward to $77^030'$ W meridian, thence a rhumb line to the intersection of 20^0 N parallel and 59^0 W meridian, thence a rhumb line to the intersection of $7^020'$ N parallel and 50^0 W meridian, thence a rhumb line drawn south-westerly to the eastern boundary of French Guiana.

(2) Subject to the rule 6, –

(a) disposal into the sea of the following is prohibited, namely:-

(i) all plastics, including synthetic ropes, synthetic fishing nets, plastic garbage bags and incinerator ashes from plastic products containing toxic or heavy metal residues; and

(ii) all other garbage, including paper products, rags, glass metal, bottles, crockery, dunnage, lining and packing materials;

(b) except as provided in clause (c), disposal into the sea of food wastes shall be made as far as practicable from land, but no case, less than twelve nautical miles from the nearest land;

(c) disposal into the Wider Caribbean Region of food wastes which have been passed through a comminuter or grinder shall be made as far as practicable from land, but in no case less than 3 nautical miles from the nearest land:

Provided that such comminuted or ground food wastes shall be capable of passing through a screen with openings not greater than twenty-five mm.

(3) When the garbage is mixed with other discharges having different disposal or discharge requirements, the more stringent requirements shall be applicable.

6. Exceptions. – The provisions of rules 3, 4, 5 shall not apply to-

(a) the disposal of garbage from a ship necessary for the purpose of securing the safety of a ship and those on board or saving lift at sea; or

(b) the escape of garbage resulting from damage to a ship or its equipment provided all reasonable precautions have been taken before and after the occurrence of such damage, for preventing or minimising the escape; or

(c) the accidental loss of synthetic fishing nets, provided that all reasonable precautions have been taken to prevent such loss.

7. Reception facilities. – (1) The Central Government shall ensure that adequate reception facilities are provided at ports and terminals for the reception of garbage, without causing undue delay to ships in accordance with the provisions of section 356-I and according to the needs of the ships using them.

(2) The Central Government shall notify the International Maritime Organisation for transmission to the State Parties concerned of all cases where facilities provided under these rules are alleged to be inadequate.

(3) The Central Government shall, -

(a) in respect of ships which depart *en route* to or arrive from the Antarctica Area, ensure that adequate facilities are provided as soon as practicable for the reception of garbage from all ships, without causing undue delay, and according to the needs of the ships using them;

(b) ensure that all ships entitled to fly its flag, before entering the Antarctic area, have sufficient capacity on board for the retention of all garbage while operating in such area and have concluded arrangements to discharge such garbage at a reception facility after leaving that area.

8. Port State Control on operational requirements.- (1) During inspection of a foreign ship in Indian port under section 356G, the surveyor, or as the case may be, any other person authorised thereunder, has clear grounds to believe that the master or crew of that ship are not familiar with operational requirements and procedures relating to the prevention of pollution by sewage, the Director-General or any officer authorised by him, shall, on the recommendation of the surveyor or the authorised person, take such steps as provided in section 356H.

9. Placards, garbage management plans and garbage record-keeping.- (1) Every ship of twelve metres or more in length overall shall display placards which notify the crew and passengers of the disposal requirements of rule 3 or rule 5, as applicable:

Provided that such placards shall be written in the working language of the ships' personnel, and for ships engaged in voyages to ports or offshore terminals under the jurisdiction of other State Parties, shall also be in English.

(2) Every ship of four hundred gross tonnage and above and every ship which is certified to carry fifteen persons or more, shall carry a garbage management plan, providing written procedures for collecting, storing, processing and disposing of garbage, including the use of the equipment on board, to be followed by its crew and shall also designate the person in charge of carrying out such plan:

Provided that such plan shall be in accordance with the guidelines developed by the International Maritime Organisation and written in the working language of the crew.

(3) Every ship of four hundred gross tonnage and above and every ship which is certified to carry fifteen persons or more engaged in voyage to ports or offshore terminal under the jurisdiction of other State Parties and every fixed and floating platform engaged in exploration and exploitation of the sea-bed shall be provided with a Garbage Record Book, in Form-I.

(4) The Garbage Record Book, whether as part of the ship's official log-book or otherwise, shall-

(a) record each discharge operation or completed incineration in English and shall be signed on the date of such incineration or discharge by the officer in charge and also, each completed page shall be signed by the master of the ship:

Provided that each such entry shall include date and time, position of the ship, description of the garbage and the estimated amount incinerated or discharged;

Provided further that such entries shall prevail in the case of any dispute or discrepancy:

(b) be kept on board the ship and in such other places that it shall be available for inspection within a reasonable time;

(c) be preserved for a period of two years after the last entry is made thereon:

(d) record the circumstances of, and the reasons for, any loss, in the event of discharge, escape or accidental loss referred to in rule 6.

(5) The Central Government may waive the requirements for Garbage Record Books for-

(a) any ship engaged on voyage of one hour or less in duration which is certified to carry fifteen persons or more; or

(b) fixed or floating platforms while engaged in exploration and exploitation of the sea-bed.

(6) The surveyor or, as the case may be the person authorised under section 356-G by the Central Government may, inspect the Garbage Record Book on board any ship to which these rules apply, while the ship is in Indian ports or offshore terminals and make a copy of any entry in that book and also may require the master of the ship to certify that the copy is a true copy of such an entry and any copy so made shall be admissible in any judicial proceeding as evidence of the facts stated in such entries:

Provided that the inspection of a Garbage Record Book and taking of certified copy shall be done as expeditiously as possible without causing undue delay to the ship.

10. Penalty.- Whoever contravenes any of the provisions of these rules shall be punished with fine in accordance with the provisions of clause (b) of sub-section (2) of section 458 of the Act.

FORM-I

[See rule 9(3)]

Form of Garbage Record Book

Name of ship: ____________________

Distinctive number or letters: ____________________

IMO No.: ____________________

Period: ____________ From: ____________ To: ____________

1. Introduction.- In accordance with paragraph 9, a record is to be kept of each discharge operation or completed incineration including the discharges at sea, to reception facilities, or to other ships.

2. Garbage and garbage management.- Garbage includes all kinds of food, domestic and operational waste excluding fresh fish and parts thereof, generated during the normal operation of the vessel and liable to be disposed of continuously or periodically except those substances which are defined or listed in other Annexes to MARPOL 73/78 (such as oil, sewage or noxious liquid substances) and the guidelines for the implementation of Annex V of MARPOL 73/78 should also be referred to for relevant information.

3. Description of the garbage.-The garbage is to be grouped into categories for the purposes of this record book as follows:-

1 Plastics

2 Floating dunnage, lining, or packing material,

3 Ground-down paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery,

4 Cargo residues, paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.

5 Food waste

6 Incinerator ash.

4 . Entries in the Garbage Record Book.-Entries in the Garbage Record Book shall be made on each of the following occasions:-

(a) When garbage is discharged into the sea:
   (i) Date and time of discharge
   (ii) Position of the ship (latitude and longitude).
   Note: For cargo residue discharges, include discharge start and stop positions.
   (iii) Category of garbage discharged
   (iv) Estimated amount discharged for each category in cubic metres
   (v) Signature of the officer in charge of the operation.

(b) When garbage is discharged to reception facilities ashore or to other ships:
   (i) Date and time of discharge
   (ii) Port or facility, or name of ship
   (iii) Category of garbage discharged
   (iv) Estimated amount discharged for each category in cubic metres
   (v) Signature of officer in charge of the operation.

(c) When garbage is incinerated:
   (i) Date and time of start and stop of incineration
   (ii) Position of the ship (latitude and longitude)
   (iii) Estimated amount incinerated in cubic metres
   (iv) Signature of the officer in charge of the operation.

(d) When there is accidental or other exceptional discharge of garbage
   (i) Time of occurrence
   (ii) Port or position of the ship at time of occurrence
   (iii) Estimated amount and category of garbage
   (iv) Circumstances of disposal, escape or loss, the reason therefor and general remarks.

4.2 Receipts.-The master should obtain from the operator of port reception facilities, or from the master of the ship receiving the garbage, a receipt or certificate specifying the estimated amount of garbage transferred and the receipt or certificate must be kept on board the ship with the Garbage Record Book for two years.

4.3 Amount of garbage.-The amount of garbage on board shall be estimated in cubic metres, if possible, separately according to category Garbage Record Book contains many references to estimated amount of garbage, it is recognised that the accuracy of estimated amounts of garbage is left to interpretation and volume estimates shall differ before and after processing and some processing procedures may not allow for a usable estimate of volume, e.g. the continuous processing of food waste such factors should be taken into consideration when making and interpreting entries made in the record.

RECORD OF GARBAGE DISCHARGES

Ship's name: ____________ Distinctive No., or letters: ____________ IMO No.: ____________

Garbage categories:
1: Plastic.
2: Floating dunnage, lining, or packing materials.
3: Ground paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.
4: Paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.
5: Food waste.
6: Incinerator ash except from plastic products which may contain toxic or heavy metal residues.

Note: The discharge of any garbage other than food waste is prohibited in special areas and the garbage discharged into the sea must be categorized and garbage other than category 1 discharged to reception facilities need only be listed as a total estimated amount discharges of cargo residues require start and stop positions to be recorded.

Date / Time	Position of the ship	Estimated amount discharged into the sea (m^3)					Estimated amount discharged to reception facilities or to other ship (m^3)		Estimated amount incinerated (m^3)	Certification / Signature
		Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat.1	Other		

Master's signature: ____________________ Date: __________

[F. No. SR-11012/2/2008-MG]

RAJEEV GUPTA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.